राजस्थान सरकार

निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांकः निदे/अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी(**ML Gap-II**)/2021/1967   दिनांकः04.10.2021

ई–नीलामी विज्ञप्ति

सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के अध्याय–III के अन्तर्गत अप्रधान खनिजों के खननपट्टों के मध्य स्थित गैप क्षेत्र ई–नीलामी (E-auction) के माध्यम से आंवटित किये जाने है, जिसके लिए बोलीदाता आवेदन शुल्क व बिड की प्रतिभूति राशि जमा कर ई–नीलामी में भाग ले सकता है। ई–नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाताओं को आवेदन शुल्क रूपया 10,000/– तथा बिड प्रतिभूति राशि (नीचे अंकित तालिका अनुसार) निर्धारित तिथि तक ई–नीलामी की सेवा प्रदाता कम्पनी एम.एस.टी.सी. लि. को जमा कराना आवश्यक होगा। आवंटित किये जाने वाले गैप क्षेत्रों का विवरण एवं बोली की निर्धारित तिथियां व समय निम्नानुसार है :–

क्र. स.	कार्यालय का नाम जिसमें खनन प्लॉट स्थित हैं एवं प्लॉट कमांकः	गेप प्लॉट का विवरण				प्लॉट का क्षेत्रफल	खनिज का नाम	नीलामी का प्रकार	बिड प्रतिभूति राशि (रूपयों में)	आरक्षित राशि (रूपयों में)	बोली लगाने हेतु आवेदन शुल्क व बिड प्रतिभूति राशि जमा कराने की अंतिम तिथि	ऑनलाईन बोली की दिनांक	ऑनलाईन बोली का समय	एनेक्शर क्रमांक जहां प्लॉट का विस्तृत विवरण अंकित है। नोटः– एनेक्शर वेबसाईट पर अपलोड इस विज्ञप्ति के साथ संलग्न है।
		भूमि का प्रकार	राजस्व ग्राम	तहसील	जिला									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	खनि अभियन्ता, अलवर **प्लॉट (गैप) कमांकः 51/2019**	राजकीय भूमि	हसनपुरमाफी	तिजारा	अलवर	0.4932 (हेक्टर)	मेसेनरी स्टोन	खनन पट्टा संख्या 60/2001, 17/2001, 127/2004 एवं 113/2000 के पट्टाधारियों के मध्य नीलाम होगा	10 लाख	148200	20.10.21	21.10.21	11.00 ए.एम. से 01.00 पी. एम	एनेक्शर–1
2	खनि अभियन्ता, अलवर **प्लॉट (गैप) कमांकः 52/2019**	राजकीय भूमि	हसनपुरमाफी	तिजारा	अलवर	0.4311 (हेक्टर)	मेसेनरी स्टोन	खनन पट्टा संख्या 17/2001 एवं 127/2004 के पट्टाधारियों के मध्य नीलाम होगा	10 लाख	129600	20.10.21	21.10.21	12.00 पी.एम. से 02.00 पी. एम	एनेक्शर–2
3	खनि अभियन्ता, अलवर **प्लॉट (गैप) कमांकः 53/2019**	राजकीय भूमि	हसनपुरमाफी	तिजारा	अलवर	0.4223 (हेक्टर)	मेसेनरी स्टोन	खनन पट्टा संख्या 17/2001, 48/2001, 22/2007, 63/2001 एवं 65/2001 के पट्टाधारियों के मध्य नीलाम होगा	10 लाख	126900	20.10.21	21.10.21	01.00 पी.एम. से 03.00 पी. एम	एनेक्शर–3

4	खनि अभियन्ता, अलवर **प्लॉट (गैप) कमांक: 54/2019**	राजकीय भूमि	हसनपुरमाफी	तिजारा	अलवर	0.4655 (हेक्टर)	मेसेनरी स्टोन	खनन पट्टा संख्या 17/2001 एवं 48/2001 के पट्टाधारियों के मध्य नीलाम होगा	10 लाख	139800	20.10.21	21.10.21	02.00 पी.एम. से 04.00 पी. एम	एनेक्शर–4
5	खनि अभियन्ता, अलवर **प्लॉट (गैप) कमांक: 55/2019**	राजकीय भूमि	हसनपुरमाफी	तिजारा	अलवर	0.4970 (हेक्टर)	मेसेनरी स्टोन	खनन पट्टा संख्या 48/2001, 127/2004 एवं 22/2007 के पट्टाधारियों के मध्य नीलाम होगा	10 लाख	149100	20.10.21	21.10.21	02.00 पी.एम. से 04.00 पी. एम	एनेक्शर–5
6	खनि अभियन्ता, अलवर **प्लॉट (गैप) कमांक: 56/2019**	राजकीय भूमि	हसनपुरमाफी	तिजारा	अलवर	0.4185 (हेक्टर)	मेसेनरी स्टोन	खनन पट्टा संख्या 64/2001, 20/2002, 21/2002 एवं 246/2006 के पट्टाधारियों के मध्य नीलाम होगा	10 लाख	125700	20.10.21	21.10.21	03.00 पी.एम. से 05.00 पी. एम	एनेक्शर–6
7	खनि अभियन्ता, राजसमंद–II **प्लॉट (गैप) कमांक: 02**	राजकीय भूमि	तलौवों की भागल	खमनोर	राजसमंद	0.4900 (हेक्टर)	ग्रेनाईट	खनन पट्टा संख्या 771/1991 व 164/2012 के पट्टाधारियों के मध्य नीलाम होगा	10 लाख	294000	20.10.21	21.10.21	03.00 पी.एम. से 05.00 पी. एम	एनेक्शर–7
8	खनि अभियन्ता, राजसमंद–II **प्लॉट (गैप) कमांक: 01**	खातेदारी भूमि	तलाई	राजसमंद	राजसमंद	0.1446 (हेक्टर)	मार्बल	खनन पट्टा संख्या 615/1988, 36/2010, 216/1993 एवं 56/2010 के पट्टाधारियों के मध्य नीलाम होगा	10 लाख	145000	20.10.21	21.10.21	03.00 पी.एम. से 05.00 पी. एम	एनेक्शर–8

अ महत्वपूर्ण बिंदु:–

1 **उपरोक्त वर्णित गेप प्लॉट की ई–नीलामी कॉलम संख्या 9 में वर्णित अनुसार पडौसी पट्टाधारियों के मध्य होगी तथा नीलामी उपरान्त सम्बन्धित गेप क्षेत्र उच्चतम पट्टेधारी बोलीदाता के खनन पट्टा क्षेत्र में जोडा जावेगा जिसकी अवधि संविदा पंजियन दिनांक से जोडे जाने वाले मूल खनन पट्टे की अवधि तक रहेगी।**

2 **क्र. सं. 8 पर अंकित गेप प्लॉट की भूमि खातेदारी भूमि है अतः इसके लिए सफल बोलीदाता को राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 7(3) के प्रावधानों अनुसार सम्बन्धित खातेदार की पंजीकृत सहमति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।**

3 आंवटित किये जाने वाले गैप क्षेत्र की लोकेशन एवं अन्य सूचनाऐं उपरोक्त तालिका अनुसार एनेक्शर 1 से 8 पर है। उक्त सुचना विभागीय वेबसाइट www.mines.rajasthan.gov.in पर तथा सेवा प्रदाता की वेबसाइट www.mstcecommerce.com पर भी उपलब्ध है, जहां से डाउनलोड की जा सकती है। नीलाम किये जा रहे गैप क्षेत्र जहॉं है, जैसे है के आधार पर नीलाम किया जा रहा है। बोलीदाता सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर के आधार पर प्लॉट का निरीक्षण अपने स्तर पर करेगा। प्लॉट की स्थिति, उपलब्ध खनिज, पहुंच के रास्ते एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं इत्यादि बाबत् बोलीदाता पूर्ण रूप से बोली लगाने से पूर्व स्वयं को आश्वस्त करेगा। इस संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति/शिकायतें बाद में स्वीकार नहीं की जायेगी।

4 ई–नीलामी प्रीमियम राशि की होगी तथा प्रीमियम राशि केवल एक बार, एक मुश्त जमा करानी होगी। उच्चतम बोलीदाता को प्रीमियम की राशि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 7(3) के द्वितीय परन्तुक के तहत अग्रिम रूप से बोली समाप्ति के 15 दिन में बिड सिक्यूरिटी राशि से समायोजन उपरान्त् बोली की संपूर्ण बची हुई प्रिमीयम राशि जमा करानी होगी। उक्त प्रिमियम राशि का समायोजन स्थिर भाटक, रॉयल्टी इत्यादि में नहीं होगा।

5 गैप क्षेत्र का आंवटन एवं ई–ऑक्शन की प्रक्रिया राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 एवं इसके तहत जारी विज्ञप्ति के अंतर्गत होगी।

6 यदि भविष्य में उक्त विज्ञप्ति के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसकी सूचना विभागीय वेबसाईट व सेवा प्रदाता एम.एस.टी.सी. की वेबवाईट पर दी जावेगी। इसका प्रकाशन समाचार पत्रों में अलग से नहीं किया जावेगा।

ब बोलीदाता के लिए बोली में भाग लेने की प्रक्रियाः–

1 ई–नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को www.mstcecommerce.com के पोर्टल से पंजीयन कराना होगा। यदि किसी व्यक्ति / फर्म / कम्पनी ने पूर्व में ही एमएसटीसी के पोर्टल में पंजीयन करा रखा है तो उन्हें पुनः पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। पंजीयन हेतु पोर्टल के होम पेज में उपलब्ध पंजीयन मार्गदर्शिका (मैन्युअल) अथवा एमएसटीसी के फोन नंबर पर आवश्यकतानुसार मदद ली जा सकती है।

2 ई–नीलामी की प्रक्रिया के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिये सेवा प्रदाता की वेबसाईट पर एवं उनके किसी भी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। जयपुर कार्यालय का पता सीएफ/02, प्रथम तल, नेहरू प्लेस कॉम्पलेक्स, टोंक रोड, जयपुर है व फोन न. 0141–2742208 है। विभागीय हेल्पलाईन नम्बर 0294–2415091 (एक्सटेंशन नम्बर 219)

3 पंजीयन प्रक्रिया के वक्त पंजीयनकर्ता के पास वैध ई–मेल आईडी और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) होना आवश्यक है उक्त सर्टिफिकेट साइनिंग टाइप एवं न्यूनतम क्लास–II का होना चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त करने की प्रक्रिया वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर दी गई है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के पासवर्ड की गोपनीयता बोलीदाता को ही रखनी होगी।

4 पंजीयन हेतु ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन फार्म भरने के बाद एम.एस.टी.सी. द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की सूची (जैसे पैन कॉड, एड्रेस प्रुफ, बैंक अकाउन्ट नम्बर, बैंक से हस्ताक्षर का प्रमाणीकरण, डी.एस. सी. सीरियल नम्बर, फर्म / कम्पनी होने की दशा में अधिकृत व्यक्ति का पैन कार्ड एवं एड्रेस प्रुफ, रजिस्ट्रेशन फीस 10000/– व जी.एस.टी. जमा कराने पर जारी यू.टी.आर. नम्बर) बोलीदाता को उसके ई–मेल आई.डी. पर भिजवाई जावेगी। बोलीदाता को रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराते हुये दस्तावेज एम.एस.टी.सी. को ई–मेल से भिजवाने होगें ।

स ई–नीलामीं की प्रक्रिया

1 ई–नीलामी में भाग लेने हेतु बोलीदाता द्वारा सर्वप्रथम अपने डिजिटल सिग्नेचर बनवाकर एमएसटीसी में पंजीयन कराने के उपरान्त नीलामी विज्ञप्ति में अंकित निर्धारित समय व तिथि तक आवेदन शुल्क एवं बिड सिक्यूरिटी जमा करा देने पर ऑनलाईन बोली में भाग ले सकेगा। बोलीदाता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रत्येक प्लॉट के लिए अलग–अलग आवेदन शुल्क व बिड सिक्यूरिटी जमा करायें। बोलीदाता द्वारा एक लम्पसम राशि भी जमा करवाई जा सकती है जिसमें से वह जिस–जिस प्लॉट हेतु बोली लगायेगा, उस प्लॉट के अनुसार आवेदन शुल्क व बिड सिक्यूरिटी राशि लम्पसम राशि में से कम होती जायेगी।

2 बोलीदाता द्वारा आवेदन शुल्क एवं बिड सिक्युरिटी जमा कराने पर यह माना जावेगा कि बोलीदाता द्वारा ई–नीलामी की शर्तें एवं आर.एम.एम.सी.आर., 2017 के प्रावधानों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन कर लिया गया है। बोली प्रस्तुत करने में किसी भी असावधानी, गलती अथवा कमी हेतु बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।

3 बोलीदाता द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर (डीएससी जिसके सिरियल नम्बर बोलीदाता द्वारा एमएसटीसी को दिये गये है) से ही बोली प्रस्तुत की जा सकेगी।

4 बोली प्रिमियम की आरक्षित दर (रिर्जव प्राईज) जो कि कॉलम संख्या 11 में अंकित है, से कम स्वीकार नहीं की जायेगी।

5 बोलीदाता अपनी बोली नीलामी पूर्ण होने से पूर्व कितनी भी बार बढा सकता है। नीलामी समाप्ति के निर्धारित समय से आठ मिनट के अन्दर यदि कोई बोली प्राप्त होती है तो बोली का समय, बोली प्रस्तुत करने के समय से आठ मिनट स्वतः ही बढ जावेगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक अंतिम आठ मिनट में कोई बोली प्राप्त नहीं होती है। बोली 5000 रूपये के गुणांक (multiple) में बढाई जा सकेगी।

6 उच्चतम बोलीदाता का चयन कम्प्यूटर सिस्टम द्वारा स्वतः किया जावेगा, जिसकी सूचना सेवा प्रदाता द्वारा ऐसे बोलीदाता को भेजी जावेगी।

7 एमएसटीसी लि0 द्वारा सफल बोलीदाता द्वारा जमा कराई गई बिड प्रतिभूति राशि संबंधित खनि अभियंता/ सहायक खनि अभियंता कार्यालय में नीलामी समाप्ति के पश्चात् तत्काल ट्रांसफर कर दी जायेगी। जिसकी सूचना सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा जरिये ई–मेल उच्चतम बोलीदाता तथा संबंधित खनि अभियंता/ सहायक खनि अभियंता कार्यालय को भेजी जायेगी। उक्त बिड प्रतिभूति राशि यदि प्रतिसंह्रत नहीं होती है तो उच्चतम बोलीदाता द्वारा जमा कराई जाने वाली एकमुश्त प्रिमीयम में समायोजित की जायेगी।

8 सफल बोलीदाता को बोली समाप्ति के 15 दिवस में बिड सिक्यूरिटी राशि से समायोजन उपरान्त् बोली की संपूर्ण बची हुई प्रीमीयम राशि जमा कराते हुए एवं निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने आवश्यक होगें :–

i बोलीदाता के नाम अथवा उसके परिवारजनों के नाम अथवा उसके जोईन्ट इन्टेस्ट में वर्तमान में अथवा पूर्व में कोई ठेका/खनन पट्टा/क्वारी लाईसेंस धृत रहा हो तो संबंधित सभी खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता कार्यालयों द्वारा जारी नो–ड्यूज प्रमाण पत्रों जो कि ई–नीलामी विज्ञप्ति तिथि से 6 माह से अधिक पुराना ना हो प्रस्तुत करना होगा।

ii विभागीय ना बकाया कें संबंध में शपथ–पत्रः– यदि बोलीदाता के नाम अथवा उसके परिवारजनों के नाम व उसके जोईन्ट इन्ट्रेस्ट में पूर्व में या वर्तमान में कोई ठेका/खनन पट्टा/क्वारी लाईसेंस धृत नहीं रहा हो तो, इस संबंध में नोटरी सत्यापित शपथ पत्र रूपया 100/– के स्टाम्प पेपर की स्केन प्रति देनी है। शपथ पत्र के प्रारूप अ,ब,स,द,ई वेबसाईट पर अपलोड है। जो भी लागू हो उसी अनुसार शपथ–पत्र तैयार किया जावें।

1. यदि बोलीदाता Individual (व्यक्ति) हो तो प्रारूप अ में शपथ पत्र प्रस्तुत करना है। 2. यदि बोलीदाता भागीदारी फर्म हो तो प्रत्येक भागीदार को पृथक पृथक प्रारूप ब में तथा फर्म के पॉवर ऑफ एटोर्नी होल्डर को प्रारूप स में फर्म का शपथ पत्र प्रस्तुत करना है। 3. यदि बोलीदाता कम्पनी हो तो प्रत्येक निदेशक को पृथक पृथक प्रारूप द में तथा कम्पनी के अधिकृत व्यक्ति को प्रारूप ई में कम्पनी का शपथ पत्र प्रस्तुत करना है।

नोट–शपथ पत्र के प्रारूप अ, ब तथा द में बिन्दु संख्या 2 एवं शपथ पत्र के प्रारूप स तथा ई में बिन्दु संख्या 3 में जो लागू हो, वहीं शपथ पत्र में अंकित किया जावे।

iii बोलीदाता कम्पनी होने की दशा में कम्पनी का मेमोरेन्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एवं सर्टिफीकेट ऑफ इन्कोर्पोरेशन की प्रति।

iv बोलीदाता फर्म होने की दशा में फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं पार्टनरशिप डीड की प्रति।

v आवेदक फर्म होने पर पॉवर ऑफ एटोर्नी (आरएमएम्सीआर 2017 के फार्म नम्बर 4 में) की प्रति तथा आवेदक के कम्पनी होने पर अधिकृत व्यक्ति के बोर्ड रिजोल्यूशन की प्रति।

vi PAN card / TIN की प्रति।

vii एड्रेस प्रुफ हेतु आधार कार्ड/ड्राईविंग लाईसेन्स/मतदाता पहचान पत्र इत्यादि की प्रति।

viii ईमेल एड्रेस एवं मोबाईल नंबर साधारण कागज या लेटर पेड पर अंकित करते हुये।

9 यदि सफल बोलीदाता द्वारा निर्धारित 15 दिवस की अवधि में उक्त राशि एवं दस्तावेज जमा नहीं कराये जाते हैं, तो उसकी जमा बिड प्रतिभूति राशि जब्त करते हुये आगामी पांच वर्षों हेतु ई–ऑक्शन में भाग लेने से डिबार किया जायेगा।

10 विज्ञप्ति के क्रम संख्या 9 व 10 पर अंकित कार्यालय अंकित कार्यालय खनि अभियंता, डूंगरपुर के गेप प्लॉट नम्बर ए व बी राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। अतः उच्चतम बोलीदाता को राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 11(1) के प्रावधानों के अनुसार Rajasthan Panchayati Raj (Modification of Provisions in Their Application to the Schedule Areas), Act, 1999 (Act No. 16 of 1999) के अनुसार पंचायती राज संस्थान के सक्षम स्तर से पूर्व अनुशंषा प्राप्त करने के उपरान्त ही गेप क्षेत्र खनन पट्टा में जोड़ा जायेगा।

11 ई नीलामी प्रकिया के बिन्दु संख्या 8 की पूर्ण पालना कर देने पर बोलीदाता को मंशा पत्र जारी किया जावेगा, जिसमें वर्णित समयावधि में माईनिंग प्लान, ई.सी. परफोरमेंस सिक्यूरिटी आदि जमा कराना होगा।

12 अन्य बोलीदाताओं को उनकी बिड प्रतिभूति राशि का रिफण्ड बोली समाप्ति के पश्चात् अगले कार्यदिवस तक बोलीदाता को लौटा दी जायेगी परंतु आवेदन शुल्क नहीं लौटाया जायेगा।

(महेश माथुर)
अतिरिक्त निदेशक (खान–मु0)

क्रमांकः निदे/अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी(**ML Gap-II**)/2021/1968–1976 दिनांक04.10.2021

प्रतिलिपि :–

1–शाखा प्रबंधक MSTC LTD Jaipur को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन एम एस टी सी की वेबसाइट पर आज ही किया जाना सुनिश्चित करें।

2– नोडल अधिकारी, डीएमजीओएमएस, के का उदयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट पर आज ही किया जाना सुनिश्चित करें।

3 – नोटिस बोर्ड, निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।

4– निम्न को उनके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु :–

अ– अतिरिक्त निदेशक (खान) जयपुर/उदयपुर।

ब – अधीक्षण खनि अभियंता, जयपुर/ राजसमंद।

5– खनि अभियन्ता, अलवर एवं खनि अभियंता, राजसमंद–II को प्रेषित कर लेख है कि **उक्त विज्ञप्ति आपके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें। साथ ही सम्बन्धित सभी पट्टाधारियों जिनके मध्य गैप क्षेत्र का ई–ऑक्शन होगा, उन्हे आपके कार्यालय स्तर से उक्त विज्ञप्ति की प्रति तत्काल प्रेषित करना सुनिश्चित करावें तथा ई–मेल द्वारा भी सूचित किया जावें तथा जिन पट्टाधारियों के बीच ई–नीलामी होगी उनकी सूचना मय नाम पते आदि के एम.एस.टी.सी लि0 जयपुर को जरिये ई–मेल उपलब्ध करावें।**

(अनिल खिमेसरा)
अधीक्षण खनि अभियन्ता (नी.प्र.)

एनेक्शर- 1

राजस्थानसरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता,खान एवंभूविज्ञान विभाग,अलवर(राज.)

E-mail :me.alwar@rajasthan.gov.in,Phone:0144-2731800

क्रम सं.	विवरण	
1.	प्लॉट(गैप)क्रमांक	51/2019(गैप क्षेत्र)
2.	कार्यालय कानाम	खनि अभियन्ता,अलवर
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम,तहसील,जिला	हसनपुरमाफी,तिजारा ,अलवर
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	0.4932है0
5.	खनिज	मैसनरीस्टोन
6.	खनन पटटो का विवरण जिनके मध्य गैप क्षेत्र की नीलामी किया जाना है	खनन पटटा एम एल न0– 60/2001,17/2001 व 127/2004, 113/2000 के मध्य
7.	स्थिरभाटक	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम–2017 के नियम 28(2)(ii) के क्रम मे शिड्यूल iii अनुसार एंव समय–समय पर होने वाले संशोधनानुसार
8	रॉयल्टी की दर	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम–2017 के 28(2)(i),28(3)(i) शिड्यूल ii पार्ट A के अनुसार
9	आरक्षित राशि	1,48,200/– रूपये
10	भूमि का प्रकार/खसरा न0	सिवायचक ,खसरा न0 90 हसनपुरमाफी,तिजारा
11	प्लॉट के सीमास्तम्भों के अक्षांन्तर व देशान्तर	(see below)

सीमास्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (longitude)
X	27-53-54.76971	76-53-1.03998
A	27-53-58.15931	76-53-3.14455
B	27-53-58.22471	76-52-58.36047
C	27-54-0.72541	76-52-58.40377
D	27-53-59.92734	76-53-0.06642
E	27-53-59.75207	76-52-59.95759

(के.सी. गोयल)

खनि अभियन्ता,अलवर

एनेक्शर-2

राजस्थानसरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता,खान एवंभूविज्ञान विभाग,अलवर(राज.)

E-mail :me.alwar@rajasthan.gov.in,Phone:0144-2731800

क्रम सं.	विवरण	
1.	प्लॉट(गैप)क्रमांक	52/2019(गैप क्षेत्र)
2.	कार्यालय कानाम	खनि अभियन्ता,अलवर
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम,तहसील,जिला	हसनपुरमाफी,तिजारा ,अलवर
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	0. 4311 हैक्टर
5.	खनिज	मैसनरीस्टोन
6.	खनन पटटो का विवरण जिनके मध्य गैप क्षेत्र की नीलामी किया जाना है	खनन पटटा एम एल न0–17 / 2001 व 127 / 2004 के मध्य
7.	स्थिरभाटक	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम–2017 के नियम 28(2)(ii) के क्रम मे शिड्यूल iii अनुसार एंव समय–समय पर होने वाले संशोधनानुसार
8	रॉयल्टी की दर	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम–2017 के 28(2)(i),28(3)(i) शिड्यूल ii पार्ट A के अनुसार
9	आरक्षित राशि	1,29,600 / – रूपये
10	भूमि का प्रकार / खसरा न0	सिवायचक ,खसरा न0 90 हसनपुरमाफी,तिजारा
11	प्लॉट के सीमास्तम्भों के अक्षांन्तर व देशान्तर	(see below)

सीमास्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (longitude)
A	27-53-59.92735	76-53-0.06642
B	27-54-00.51399	76-52-58.84423
C	27-54-03.38220	76-53-00.58851
D	27-54-03.36245	76-53-02.03277
E	27-54-02.45278	76-53-02.01701
F	27-54-02.59653	76-53-01.72369

(के.सी. गोयल)

खनि अभियन्ता,अलव

एनेक्शर-3

राजस्थानसरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता,खान एवंभूविज्ञान विभाग,अलवर(राज.)
E-mail :me.alwar@rajasthan.gov.in,Phone:0144-2731800

क्रम सं.	विवरण	
1.	प्लॉट(गैप)क्रमांक	53/2019(गैप क्षेत्र) 53/2019
2.	कार्यालय कानाम	खनि अभियन्ता,अलवर
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम,तहसील,जिला	हसनपुरमाफी,तिजारा ,अलवर
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	0.4223 हैक्टर
5.	खनिज	मैसनरीस्टोन
6.	खनन पटटो का विवरण जिनके मध्य गैप क्षेत्र की नीलामी किया जाना है	खनन पटटा एम एल न0–17/2001, 48/2001, 22/2007, 63/2001 व 65/2001 के मध्य
7.	स्थिरभाटक	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम–2017 के नियम 28(2)(ii) के क्रम मे शिड्यूल iii अनुसार एंव समय–समय पर होने वाले संशोधनानुसार
8	रॉयल्टी की दर	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम–2017 के 28(2)(i),28(3)(i) शिड्यूल ii पार्ट A के अनुसार
9	आरक्षित राशि	1,26,900/– रूपये
10	भूमि का प्रकार/खसरा न0	सिवायचक ,खसरा न0 90 हसनपुरमाफी,तिजारा
11	प्लॉट के सीमास्तम्भों के अक्षांन्तर व देशान्तर	(see below)

सीमास्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (longitude)
A	27-54-0.04592	76-53-5.33884
B	27-54-0.43026	76-53-4.55458
C	27-54-1.02748	76-53-4.92539
D	27-54-3.31244	76-53-5.68886
E	27-54-6.52377	76-53-5.74452
F	27-54-6.25522	76-53-7.06622

(के.सी. गोयल)
खनि अभियन्ता,अलवर

एनेक्शर-4

राजस्थानसरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता,खान एवंभूविज्ञान विभाग,अलवर(राज.)

E-mail :me alwar@rajasthan.gov.in,Phone:0144-2731800

क्रम सं.	विवरण	
1.	प्लॉट(गैप)क्रमांक	54/2019(गैप क्षेत्र)
2.	कार्यालय कानाम	खनि अभियन्ता,अलवर
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम,तहसील,जिला	हसनपुरमाफी,तिजारा ,अलवर
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	0.4655 हैक्टर
5.	खनिज	मैसनरीस्टोन
6.	खनन पटटो ,का विवरण जिनके मध्य गैप क्षेत्र की नीलामी किया जाना है	खनन पटटा एम एल न0—17/2001 व 48/2001 के मध्य
7.	स्थिरभाटक	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम—2017 के नियम 28(2)(ii) के क्रम मे शिड्यूल iii अनुसार एंव समय—समय पर होने वाले संशोधनानुसार
8	रॉयल्टी की दर	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम—2017 के 28(2)(i),28(3)(i) शिड्यूल ii पार्ट A के अनुसार
9	आरक्षित राशि	1,39,600/— रूपये
10	भूमि का प्रकार/खसरा न0	सिवायचक ,खसरा न0 90 हसनपुरमाफी,तिजारा
11	प्लॉट के सीमास्तम्भों के अक्षांन्तर व देशान्तर	

सीमास्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (longitude)
A	27-54-1.02748	76-53-4.9254
B	27-54-2.45278	76-53-2.01701
C	27-54-3.36245	76-53-2.03277
D	27-54-3.31244	76-53-5.68886

(के.सी. गोयल)

खनि अभियन्ता,अलवर

एनेक्शर-5

राजस्थानसरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता,खान एवंभूविज्ञान विभाग,अलवर(राज.)

E-mail :me.alwar@rajasthan.gov.in,Phone:0144-2731800

क्रम सं.	विवरण	
1.	प्लॉट(गैप)क्रमांक	55/2019(गैप क्षेत्र)
2.	कार्यालय कानाम	खनि अभियन्ता,अलवर
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम,तहसील,जिला	हसनपुरमाफी,तिजारा ,अलवर
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	0.4970हैक्टर
5.	खनिज	मैसनरीस्टोन
6.	खनन पटटो का विवरण जिनके मध्य गैप क्षेत्र की नीलामी किया जाना है	खनन पटटा एम एल न0-48/2001,127/2004 व 22/2007, के मध्य
7.	स्थिरभाटक	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम-2017 के नियम 28(2)(ii) के क्रम मे शिड्यूल iii अनुसार एंव समय-समय पर होने वाले संशोधनानुसार
8	रॉयल्टी की दर	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम-2017 के 28(2)(i),28(3)(i) शिड्यूल ii पार्ट A के अनुसार
9	आरक्षित राशि	1,49,100/- रूपये
10	भूमि का प्रकार/खसरा न0	सिवायचक ,खसरा न0 90 हसनपुरमाफी,तिजारा
11	प्लॉट के सीमास्तम्भों के अक्षांन्तर व देशान्तर	

सीमास्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (longitude)
A	27-54-3.36245	76-53-2.03277
B	27-54-3.38219	76-53-0.58850
C	27-54-4.08982	76-53-1.00991
D	27-54-4.83890	76-52-59.44931
E	27-54-6.60631	76-53-0.52416
F	27-54-6.58501	76-53-2.08161

(के.सी. गोयल)

खनि अभियन्ता,अलवर

एनेक्शर-6

राजस्थानसरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता,खान एवंभूविज्ञान विभाग,अलवर(राज.)

E-mail :me.alwar@rajasthan.gov.in,Phone:0144-2731800

क्रम सं.	विवरण	
1.	प्लॉट(गैप)कमांक	56/2019(गैप क्षेत्र)
2.	कार्यालय कानाम	खनि अभियन्ता,अलवर
3.	प्लॉट का राजस्व ग्राम,तहसील,जिला	हसनपुरमाफी,तिजारा ,अलवर
4.	प्लॉट का क्षेत्रफल	0.4185 हैक्टर
5.	खनिज	मैसनरीस्टोन
6.	खनन पटटो का विवरण जिनके मध्य गैप क्षेत्र की नीलामी किया जाना है	खनन पटटा एम एल न0–64 / 2001,20 / 2002, 21 / 2002, व 246 / 2006 के मध्य
7.	स्थिरभाटक	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम–2017 के नियम 28(2)(ii) के क्रम मे शिड्यूल iii अनुसार एंव समय–समय पर होने वाले संशोधनानुसार
8	रॉयल्टी की दर	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम–2017 के 28(2)(i),28(3)(i) शिड्यूल ii पार्ट A के अनुसार
9	आरक्षित राशि	1,25,700 / – रूपये
10	भूमि का प्रकार / खसरा न0	सिवायचक ,खसरा न0 90 हसनपुरमाफी,तिजारा
11	प्लॉट के सीमास्तम्भों के अक्षांन्तर व देशान्तर	(see below)

सीमास्तम्भ	अक्षान्तर (Latitude)	देशान्तर (longitude)
A	27-54-14.45269	76-53-5.58858
B	27-54-14.99677	76-53-2.91069
C	27-54-12.93872	76-53-2.38088
D	27-5413.18116	76-53-1.18761
E	27-54-15.92338	76-53-1.89355
F	27-54-14.98708	76-53-5.59784

(के.सी. गोयल)

खनि अभियन्ता,अलवर

ऐनेक्शर-7

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजसमन्द खण्ड-द्वितीय
Telephone-02952-222345, Fax-02952-220190, E-Mail Address - merajsamand-2@dmg-raj.org

डेलिनियेशन प्लॉट ग्राम तलावों की भागल

क्र. स.		विवरण
1.	प्लॉट क्रमांक	02, (गेप एरिया)
2.	खनिज	ग्रेनाईट
3.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	कार्यालय खनि अभियन्ता, राजसमंद खण्ड–द्वितीय
4.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	राजस्व ग्राम–तलोवों की भागल,तहसील खमनोर, जिला राजसमंद
5.	प्लॉट का क्षेत्रफल	0.4900 हैक्टर
6.	स्थिर भाटक	रू 60,000/–प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष एवं समय–समय पर होने वाले संशोधन अनुसार।
7.	रॉयल्टी दर	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अनुसूचि–II में वर्णित दर एवं उसमें समय–समय पर होने वाले संशोधनानुसार।
8.	भूमि का प्रकार	राजकीय भूमि
9.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांश–देशान्तर	

सीमा स्तम्भ	अक्षांश (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
K	25°1'28.82000"	73°41'44.17000"
1	25°1'29.66412"	73°41'43.81224"
2	25°1'29.86896"	73°41'44.29752"
3	25°1'28.17696"	73°41'45.19068"
4	25°1'27.42204"	73°41'45.63852"
5	25°1'26.03208"	73°41'46.27176"
6	25°1'25.81896"	73°41'46.47696"
7	25°1'25.46184"	73°41'46.03920"
8	25°1'25.88160"	73°41'45.40092"
9	25°1'26.54400"	73°41'44.64996"
10	25°1'27.00660"	73°41'44.26044"
11	25°1'27.34572"	73°41'43.65240"
12	25°1'27.39360"	73°41'42.59580"

(ललित बाछरा)
खनि अभियन्ता
राजसमंद खण्ड ।।

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजसमन्द खण्ड-द्वितीय
Telephone-**02952-222345**, Fax-**02952-220190**, E-Mail Address - merajsamand-2@dmg-raj.org

डेलिनियेशन गैप एरिया ग्राम तलाई।

क्र. स.		विवरण
1.	प्लॉट क्रमांक	01 (गेप एरिया)
2.	खनिज	मार्बल
3.	कार्यालय का नाम जहाँ प्लॉट आता है	कार्यालय खनि अभियन्ता, राजसमंद खण्ड–द्वितीय
4.	प्लॉट का राजस्व ग्राम, तहसील व जिला	राजस्व ग्राम–तलाई ,तहसील एवं जिला राजसमंद
5.	प्लॉट का क्षेत्रफल	0.1446 हैक्टर
6.	स्थिर भाटक	रू 1,00000/–प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष एवं समय–समय पर होने वाले संशोधन अनुसार।
7.	रॉयल्टी दर	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अनुसूचि–II में वर्णित दर एवं उसमें समय–समय पर होने वाले संशोधनानुसार।
8.	भूमि का प्रकार	खातेदारी भूमि
9.	प्लॉट के सीमा स्तम्भों के अक्षांश–देशान्तर	(see below)

सीमास्तम्भ	अक्षांश (Latitude)	देशान्तर (Longitude)
1	25°-08'-28.0300"	73°-48'-58.3121"
2	25°-08'-28.0014"	73°-48'-54.9610"
3	25°-08'-27.3084"	73°-48'-54.9677"
4	25°-08'-27.7232"	73°-48'-58.3150"

(ललित बाछरा)
खनि अभियन्ता
राजसमंद–II